Tin No. 23965203245 P.A. No. AAAA G 9416 F

ग्वालियर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित

Gwalior Sahakari Dugdh Sangh Maryadit Gwalior

(मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 के अधीन पंजीकृत)

ISO 9001 : 2008

Office : Gola Ka Mandir, Residency Road, Morar, Gwalior – 474005, Phone : Office – 0751-2365523, 2368107 Fax : 0751- 2366981
Plant : Industrial Area, Banmore Distt. Morena (M.P.) India, Email – Gwaliordairy@gmail.com

दुग्ध संकलन परिवहन हेतु ई–निविदा सूचना

ग्वालियर सहकारी दुग्ध संघ कार्यक्षेत्र के डेयरी संयत्र,बानमोर एवं विभिन्न दुग्ध शीत केन्द्रों/बीएमसी पर दुग्ध समितियों से दिनांक 01.12.2021 से 30.11.2023 तक 2 वर्ष की अवधि हेतु कि.मी./लीटर आधार पर संचालित करने हेतु दुग्ध परिवहन कार्य के लिये पंजीकृत निर्धारित क्षमता के वाहनों के लिये निविदायें आमंत्रित की जाती हैं, प्रत्येक निविदा प्रपत्र के साथ रू. 10,000/– प्रति वाहन/प्रति दुग्ध संकलन मार्ग के मान से ऑनलाईन ई.एम.डी. ''**ग्वालियर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, ग्वालियर**'' के नाम जमा करवाना अनिवार्य होगी, जिसकी मूल रसीद भौतिक रूप से जमा किये जाने वाले निविदा प्रपत्र के साथ संलग्न करना अनिवार्य है।

निविदा अवधि पूर्ण होने एवं कार्य संतोषजनक होने पर आपसी सहमति से एक–एक वर्ष करके अनुबंधित अवधि में अतिरिक्त दो–वर्ष तक की वृद्धि पूर्व अनुमोदित दर व शर्त पर की जा सकेगी। लोडिंग वाहन मॉडल 2016 या उसके बाद का होना चाहिये।

डेयरी संयत्र/दुग्ध शीत केन्द्र/बी.एम.सी. के नाम	**वाहन के निर्धारित परिवहन क्षमता**	**ई–निविदा क्रय हेतु अंतिम दिनांक/समय**	**ई–निविदा प्रस्तुत करने का अंतिम दिनांक/समय**	**ई–निविदा खोलने का दिनांक/समय**
आर.एम.आर.डी. मुरैना एवं दुग्ध शीत केन्द्र दबोह, दतिया, मेंहगॉव	महेन्द्रा बुलैरो पिकअप/मिनीपिकअप	दिनांक 29.11. 2021 को दोपहर 01:00 बजे तक	दिनांक 29.11. 2021 को दोपहर 02:00 बजे तक	दिनांक 30.11. 2021 को दोपहर 03:00 बजे तक ग्वालियर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित

निविदा प्रपत्र का पूर्ण विवरण (निविदा कार्यक्रम/मार्गो की विस्तृत जानकारी/अनुबंध की शर्त/नियम) मध्य प्रदेश स्टेट को–ऑपरेटिव डेयरी फैडरेशन लिमिटेड. भोपाल की वेबसाईट **www.mpcdf.gov.in** पर देखी जा सकती है। विस्तृत निविदा प्रपत्र पोर्टल **www.mptenders.gov.in** पर उपलब्ध है। समस्त निविदायें या किसी एक निविदा को निरस्त करने का अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी के पास सुरक्षित रहेगा।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी

Tin No. 23965203245 P.A. No. AAAA G 9416 F

ग्वालियर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित

Gwalior Sahakari Dugdh Sangh Maryadit Gwalior

(मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 के अधीन पंजीकृत)

ISO 9001 : 2008

Office : Gola Ka Mandir, Residency Road, Morar, Gwalior – 474005, Phone : Office – 0751-2365523, 2368107 Fax : 0751- 2366981
Plant : Industrial Area, Banmore Distt. Morena (M.P.) India, Email – Gwaliordairy@gmail.com

दुग्ध संकलन परिवहन हेतु अल्प कालीन निविदा सूचना

ग्वालियर सहकारी दुग्ध संघ कार्यक्षेत्र के डेयरी संयत्र,बानमोर एवं विभिन्न दुग्ध शीत केन्द्रों/बीएमसी पर दुग्ध समितियों से दिनांक 01.10.2021 से 30.09.2023 तक 2 वर्ष की अवधि हेतु कि.मी./लीटर आधार पर संचालित करने हेतु दुग्ध परिवहन कार्य के लिये पंजीकृत निर्धारित क्षमता के वाहनों के लिये निविदायें आमंत्रित की जाती हैं, प्रत्येक निविदा प्रपत्र के साथ रू. 10,000/– प्रति वाहन/प्रति दुग्ध संकलन मार्ग के मान से नगद या डी.डी. जो ''**ग्वालियर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, ग्वालियर**'' के नाम ई.एम.डी. जमा करवाना अनिवार्य होगी, जिसकी मूल रसीद भौतिक रूप से जमा किये जाने वाले निविदा प्रपत्र के साथ संलग्न करना अनिवार्य है।

निविदा अवधि पूर्ण होने एवं कार्य संतोषजनक होने पर आपसी सहमति से एक–एक वर्ष करके अनुबंधित अवधि में अतिरिक्त दो–वर्ष तक की वृद्धि पूर्व अनुमोदित दर व शर्त पर की जा सकेगी। लोडिंग वाहन मॉडल 2016 या उसके बाद का होना चाहिये।

डेयरी संयत्र/दुग्ध शीत केन्द्र/बी.एम.सी. के नाम	**वाहन के निर्धारित परिवहन क्षमता**	**निविदा क्रय हेतु अंतिम दिनांक/ समय**	**निविदा प्रस्तुत करने का अंतिम दिनांक/ समय**	**निविदा खोलने का दिनांक/ समय**
आर.एम.आर.डी. मुरैना एवं दुग्ध शीत केन्द्र दतिया, मेंहगॉव, भाण्डेर, शिवपुरी, श्योपुर	महेन्द्रा बुलैरो पिकअप/मिनीपिकअप	दिनांक 15.09. 2021 को दोपहर 01:00 बजे तक	दिनांक 15.09. 2021 को दोपहर 02:00 बजे तक	दिनांक 15.09. 2021 को दोपहर 03:00 बजे तक ग्वालियर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित

निविदा प्रपत्र का पूर्ण विवरण (निविदा कार्यक्रम/मार्गो की विस्तृत जानकारी/अनुबंध की शर्त/नियम) मध्य प्रदेश स्टेट को–ऑपरेटिव डेयरी फैडरेशन लिमिटेड. भोपाल की वेबसाईट **www.mpcdf.gov.in** पर देखी जा सकती है। विस्तृत निविदा प्रपत्र पोर्टल **www.mpcdf.gov.in** पर उपलब्ध है। समस्त निविदायें या किसी एक निविदा को निरस्त करने का अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी के पास सुरक्षित रहेगा।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी

2021–22 में दुग्ध संकलन परिवहन कार्य हेतु मार्गो की सूची

क्र.	मार्ग का नाम	अनुमानित दूरी (कि.मी.)	अनुमानित दुग्ध संकलन लीटर प्रतिदिन	वाहन का प्रकार	प्रति कि.मी./ लीटर
A	**दुग्ध शीत केन्द्र दबोह**				
1	कमलापुरी–दबोह	120	800	महेन्द्र पिकअप/समकक्ष	प्रति कि.मी./लीटर
2	हेतमपुर–मुरावली–दबोह	55	700	महेन्द्र पिकअप/समकक्ष	प्रति कि.मी./लीटर
3	रमपुरा–नरोल–दबोह	50	650	महेन्द्र पिकअप/समकक्ष	प्रति कि.मी./लीटर
4	बरेई–टोला–दबोह	45	800	महेन्द्र पिकअप/समकक्ष	प्रति कि.मी./लीटर
5	अजनार–दबोह	80	1000	महेन्द्र पिकअप/समकक्ष	प्रति कि.मी./लीटर
6	फरदुआ–दबोह	55	900	महेन्द्र पिकअप/समकक्ष	प्रति कि.मी./लीटर
7	परेक्षा–रौनी–दबोह (प्रस्तावित)	35	800	महेन्द्र पिकअप/समकक्ष	प्रति कि.मी./लीटर
8	ररी–लपवाहा–दबोह (प्रस्तावित)	75	600	महेन्द्र पिकअप/समकक्ष	प्रति कि.मी./लीटर
9	स्योडा–चौरई–दबोह (प्रस्तावित)	70	600	महेन्द्र पिकअप/समकक्ष	प्रति कि.मी./लीटर
B	**आर.एम.आर.डी. बानमोर**				
10	कैमरा–जारह–बानमोर	65	600	महेन्द्र पिकअप/समकक्ष	प्रति कि.मी./लीटर
11	खासखेडा–बानमोर	70	800	महेन्द्र पिकअप/समकक्ष	प्रति कि.मी./लीटर
C	**दुग्ध शीत केन्द्र दतिया**				
12	पलोथर–बडोनी–दतिया	90	500	महेन्द्र पिकअप/समकक्ष	प्रति कि.मी./लीटर
D	**दुग्ध शीत केन्द्र मेंहगॉव**				
13	चनेनी–मेंहगॉव मार्ग	90	700	महेन्द्र पिकअप/समकक्ष	प्रति कि.मी./लीटर

दुग्ध परिवहन निविदा प्रस्तुत करने बाबत नियम एवं शर्तें

1– मुख्य कार्यपालन अधिकारी, ग्वालियर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित द्वारा विभिन्न मार्गों से दुग्ध संकलन ,शीत केन्द्र/आर.एम.आर.डी. तक परिवहन हेतु निविदा आमंत्रित की जाती है। निविदा प्रपत्र में वर्णित शर्तों का कृपया ध्यान से पढ लें।

2– अ–निविदा के साथ रू.10,000/–(रू.दस हजार मात्र) प्रति वाहन/दुग्ध संकलन मार्ग के मान से एवं अधिकतम राशि रू.2.00 लाख ई.एम.डी. मुख्य कार्यपालन अधिकारी ग्वालियर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित के पक्ष में बैंक ड्राफ्ट अथवा कार्यालय में नगद जमा करना होगी।

ब–सुरक्षा निधि अनुमानित एक माह के भुगतान देयक के समतुल्य रहेगा। सुरक्षा निधि बाबत अन्य कोई भी प्रमाणपत्र मान्य नहीं किया जावेगा, ऑनलाईन जमा की गई (ई.एम.डी.) रू.10,000/–प्रति वाहन/ दुग्ध संकलन मार्ग के मान से एवं अधिकतम राशि रू.2.00 लाख की मूल रसीद निविदाप्रपत्र के साथ संलग्न करनी होगी अन्यथा निविदा निरस्त की जावेगी।

3– बिना हस्ताक्षर अथवा अपूर्ण जानकारी वाली निविदाओं को निविदा प्रक्रिया से बाहर रखा जायेगा।

4– निविदा दिनांक 15.09.2021 को दिन के 02:00 बजे तक स्वीकार की जावेगी इसके लिये कार्यालयीन घडी का समय ही मान्य होगा।

5– निविदा प्रस्तुत करने की दिनांक को ऐसे निविदाकार जिनके पास स्वयं के नाम का आर.टी.ओ. द्वारा पंजीकृत वाहन हो या ऐसे निविदाकार जो कार्य प्रारम्भ करने के 10 दिन पूर्व अपना वाहन उपलब्ध करा सकेंगे ,वे निविदा भरने के पात्र होंगे। इस समयावधि में किसी भी स्थिति में बढोत्तरी नहीं की जावेगी। निर्धारित अवधि में ऐसे निविदाकारों द्वारा वाहन उपलब्ध ना कराने की दशा में धरोहर राशि राजसात कर ली जावेगी। निविदाकार द्वारा स्वयं की मिलकियत दर्शाने के लिये कोई इकरारनामा/शपथपत्र/रसीद अथवा कोई अधिकार पत्र मान्य नहीं किया जावेगा,केवल आर.टी.ओ. द्वारा पंजीकृत पत्र ही वाहन की मिलकियत के लिये मान्य होगा।

6– नवीन वाहन की स्थिति में निविदाकार को कार्यादेश प्राप्त करने के दिनांक से 10 दिवस की अवधि के अंदर कार्यादेश में वर्णित समस्त दस्तावेज उपलब्ध (प्रस्तुत) करना आवश्यक एवं अनिवार्य होगा अन्यथा की स्थिति में कार्यादेश निरस्त कर प्रतिभूति राशि राजसात कर ली जावेगी।

7– सफल निविदाकार की वाहन में संघ स्तर से जी.पी.एस. प्रणाली (GPS System) लगाया जायेगा जिसका व्यय एवं किराया संघ द्वारा वाहन ठेकेदार के देयक से कटोत्रा किया जावेगा एवं जी.पी.एस.की मॉनिटरिंग संघ स्तर से की जावेगी।

8– निविदा में दर निर्धारण करते समय एक मार्ग पर एक से अधिक निविदाकार की दर आने की स्थिति में वाहन के नवीनतम मॉडल को प्राथमिकता दी जावेगी। वाहन का समान निर्माण वर्ष आने पर लाटरी व्यवस्था अपनाई जावेगी।

9– निविदाकार के पास स्वयं के नाम पर पंजीकृत व्यवसायिक वाहन होना चाहिये, ऐसे निविदाकार ही निविदा भरने के पात्र होंगे। निविदा की जाने वाली वाहन का बीमा, पंजीयन, पेन कार्ड, खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2006 के अन्तर्गत पंजीयन, प्रदषण जांच रिपोर्ट एवं अन्य कागजात निविदा प्रपत्र के साथ तकनीकी ब्रिड वाले लिफाफे में प्रस्तुत करना होगी। उपरोक्त प्रमाणपत्रों के अभाव में निविदा स्वीकार नहीं की जावेगी । निविदा स्वीकृत होने पर निर्धारित तिथि पर वाहन उपलब्ध न कराने की स्थिति में संबंधित मार्ग की प्रतिभूति राशि राजसात कर ली जावेगी।

10– दुग्ध संघ द्वारा प्रत्येक दुग्ध संकलन मार्ग हेतु दुग्ध संकलन मार्ग पर वाहन के मॉडल क्षमता एवं प्रकार के अनुसार वाहन के अनुमानित उवरेज ,वर्तमान डीजल की दर, टोल टैक्स दुग्ध संकलन मार्ग की दूरी को दृष्टिगत रखकर न्यूनतम परिवहन दर का निर्धारण किया गया है जिसका उल्लेख भावपत्र में

किया गया है। दुग्ध संकलन मार्ग हेतु न्यूनतम अनुमानित परिवहन दर से कम दर की प्राप्त निविदा अमान्य ही जावेगी।

11— निविदा में निर्धारित मार्ग की दूरी की कमी/वृद्धि की जा सकेगी, जिसका भुगतान स्वीकृत दर के अनुसार घटी/बढी दूरी के अनुपात में कम/अधिक भुगतान किया जावेगा।

12— निविदा के अस्वीकृत होने पर धरोहर राशि की पूरी रकम तीन माह में वापिस लौटायी जावेगी अथवा निविदा स्वीकार होने पर धरोहर राशि की रकम ठेके/दुग्ध परिवहन कार्य हेतु निर्धारित नियमों एवं शर्तो के अनुसार दी जाने वाली सुरक्षा निधि में समायोजित कर ली जावेगी।

13— निविदा सभी मार्ग या किसी भी एक मार्ग के लिये अस्वीकृत की जा सकती है।

14— निविदाकार द्वारा निविदा प्रस्तुत करने से यह मान लिया जावेगा कि निविदा प्रस्तुत करने के लिये दी गई निविदा की शर्तें/अनुबंध आदि का अवलोकन निविदाकार द्वारा कर लिया गया है तथा परिवहन हेतु निधार्रित मार्ग की जानकारी से स्वयं को अवगत करा लिया गया है तथा उसे स्वीकृत है।

15— किसी फर्म द्वारा निविदा प्रस्तुत करने की सिथति में उस पर सभी भागीदारों के हस्ताक्षर अवश्य होना चाहिये या किसी भागीदार की अनुपस्थिति में उसके द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर अवश्य होना चाहिये जिसके पास ऐसा करने के लिये .मुखत्यारनामा है। इस प्रकार संबंधित प्रतिनिधि भारतीय भागीदार अधिनियम के तहत पंजीकृत होना चाहिये , साथ में पंजीकृत पार्टनरशिप डीड पत्र भौतिक निविदा प्रपत्र के साथ लिफााफे में देना होगा।

16— दुग्ध संघ की ऐसी पंजीकृत दुग्ध समितियॉ, जो दुग्ध परिवहन लोडिंग वाहन, मार्केटिंग वाहन आदि क्रय एवं संचालन करने में सक्षम तथा इच्छुक है, तो वे समितियों भी ई—निविदा में भाग ले सकती है।

17— सभी निविदायें या कोई भी निविदा बिना कारण बताये अस्वीकृत की जा सकती है। निविदा प्रस्तुत करने के पश्चात उसे वापस लेने का अधिकार निविदा प्रस्तुत कर्ता को नहीं होगा। निविदा में प्रस्तुत जानकारी किसी भी समय गलत पायी जाने पर अमानत राशि राजसात कर ठेका निरस्त किया जावेगा।

18— निविदा स्वीकृत होने पर निविदाकर्ता को अनुबंध तथा प्रतिभूति की राशि के साथ दुग्ध संघ की नाम मात्र की सदस्यता प्राप्त करने हेतु रू.100/— का एक अंश प्रति वर्ष अनिवार्य रूप से क्रय करना होगा। ऐसे सदस्य संस्था के प्रबंधन मतदान तथा लाभ के वितरण में भाग नहीं ले सकेगे। संघ के साथ व्यापारिक सम्बन्ध बने रहने तक वे नाम मात्र के सदस्य बने रहेगें।

19— प्राप्त निविदाओं में जिन मार्गों पर तीन निविदायें प्राप्त होगी एवं पूर्व स्वीकृत दर (विगत अनुबंध दर) से अधिक पाई जावेगी, उन मार्गों पर निविदाकर्ताओं से समझौता के आधार पर निर्धारित दरों पर अंतिम निर्णय लेने का अधिकार मुख्य कार्यपालन अध्किारी को होगा। दुग्ध संकलन मार्ग में निविदा में प्राप्त दर की तुलना गत निविदा के अंतिम भुगतान के देयक की दर से की जावेगी।

20— प्राप्त निविदाओं में जिन मार्गों पर तीन निविदायें प्राप्त होगी एवं पूर्व स्वीकृत दर (विगत अनुबंध दर) से अधिक पाई जावेगी, उन मार्गों पर निविदाकर्ताओं से समझौता के आधार पर निर्धारित दरों पर अंतिम निर्णय लेने का अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी को होगा। ऐसे दुग्ध संकलन मार्ग जिस पर निविदा में प्राप्त दर गत वर्ष की प्ररंभिक निविदा दर (डीजल दर वृद्धि/कमी)/वर्तमान दर (गत एक वर्ष की औसत दर) के समतुल्य/कम पाई जाती है तो समस्त अर्हताऍ पूर्ण होने पर उस मार्ग पर समझौता वार्ता कराई जावेगी।

21— निविदा स्वीकृत होने पर मुख्य कार्यपालन अधिकारी ,सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित द्वारा दी गई कार्यादेश की सूचना की अभिस्वीकृति लिखित में सूचना प्राप्ति के 3 दिन के अंदर संघ कार्यालय /शीत केन्द्र कार्यालय में निविदाकार को रू.10,000/— (रू.दस हजार मात्र) प्रारम्भिक सुरक्षा राशि के साथ जो संघ को ड्राफ्ट के माध्यम से जमा कराकर देनी होगी , अन्यथा वाहन निविदाकार की EMD राशि जप्त कर निविदा निरस्त की जावेगी।

22— निविदाकार द्वारा निविदा हेतु ऑन लाईन जमा की गई रू.10,000/—(रू.दस हजार मात्र) प्रति वाहन /दुग्ध संकलन मार्ग के मान से एवं अधिकतम राशि रू.2.00 लाख धरोहर राशि कार्य प्रारम्भ न करने की दशा में संघ द्वारा संबंधित मार्ग की प्रतिभूति राशि राजसात कर ली जावेगी।

23— निविदाकार द्वारा यदि निविदा में कोई अन्य शर्त लगाई जाती है तो ऐसी सशर्त निविदा मान्य नहीं होगी।

24— नियमानुसार आयकर एवं अधिभार राशि की कटौत्री बिल में से की जावेगी यदि निविदाकार की कर योग्य सकल आयकर निर्धारण सीमा से कम हो तो उसे आयकर अधिकारी से आयकर का कटोत्रा न करने का प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा।

25— दुग्ध संघ एवं दुग्ध समिति में कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों एवं संचालक मंडल के सदस्यों में निविदाकर्ता का कोई निकट का रिश्तेदार माता, प्रति, पत्नि , पुत्र, पुत्री आदि नहीं होना चाहिये । शिकायत प्राप्त होने पर एवं जांच में सही पाये जाने पर निविदाकार द्वारा भरी गई समस्त प्रतिभूति/अमानत राशि संघ द्वारा राजसात कर ली जावेगी।

26— अ— भविष्यनिधि अधिनियम तथा कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम के अन्तर्गत वाहन ठेकेदार द्वारा वाहन पर यदि कर्मचारियों की नियुक्ति की जावेगी अथवा कर्मचारियों से वाहन पर कार्य लिया जावेगा तो उन कर्मचारियों की भविष्यनिधि अधिनियम/कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम के प्रावधानानुसार वाहन ठेकेदार को संबंधित विभाग से कोड नम्बर प्राप्त कर प्रावधान के अनुसार नियमित अंशदान जमा कराना अनिवार्य होगा। जमा न करने की दशा में प्रबंधन को यह अधिकार होगा कि अंशदान की राशि वाहन ठेकेदार के देयकों/प्रतिभूति राशि से वसूल की जायेगी। जिसकी पूर्ण जबाबदारी वाहन ठेकेदार की होगी इसी प्रकार श्रम अधिनियमों के अन्तर्गत समस्त श्रम अधिनियमों के नियमों का पालन करने का दायित्व वाहन इकेदार का होगा। वाहन ठेकेदार को वाहन पर चलने वाले कर्मचारियों का पुलिस प्रमाणीकरण कराकर प्रस्तुत करना होगा।

ब— वाहन ठेकेदार को वाहन पर कार्यरत कर्मचारियों का पहचान पत्र बनवाना आवश्यक होगा, साथ ही संघ द्वारा निर्धारित गणवेश पहनना अनिवार्य होगा । गणवेश का व्यय वाहन ठेकेदार द्वारा पहन किया जावेगा।

27— मुख्य कार्यपालन अधिकारी को यह अधिकार होगा कि बिना कारण बताये किसी भी निविदा को अमान्य कर सकेगा।

28— सफल निविदाकार को रू.1000/—के नॉन ज्यूडिशियल स्टॉम्प पेपर पर कार्य आदेश प्राप्ति के 20 दिवस के अन्दर संघ से विधिवत अनुबंध निर्धारित प्रारूप में निष्पादित करना होगा। अनुबंध निष्पादित न करने की स्थिति में वाहन के कार्यादेश को निरस्त करने का अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी को होगा।

29— जिन संस्थाओं द्वारा सील्ड केन दी जावेंगी,उसी स्थिति में केनों को दुग्ध शीत केन्द्र/आर.एम आर.डी पहुंचाना होगा।सील टूटी होने पर समितियों के दूध कमी की राशि की वसूली दुग्ध परिवहन देयक से की जावेगी।

30— मार्ग की दूरी अनुमानित है तथा इसमें समितियों की कमी/वृद्धि के साथ कमी/वृद्धि हो सकमी है।मार्ग की दूरी तथा संकलन के अनुसार वाहन व्यवस्था पुनरीक्षित की जा सकती है तथा मार्ग परिवर्तीत किया जा सकता है एवं एक शीत केन्द्र से दूसरे शीत केन्द्र पर भी परिवर्तीत किया जा सकता हैं ।

31— जिन दुग्ध संकलन मार्गों पर बल्क मिल्क कूलर स्थापित हो रहे हैं अथवा किया जाना है एवं दुग्ध वाहन के स्थान पर दुग्ध टेंकर से दूध लाने की सम्भावना है , साथ ही शासन की योजना के तहत अन्य जिने मार्ग पर बल्क मिल्क कूलर स्थापित होंगे वहां से टेंकर द्वारा दुग्ध संकलन की सम्भावना है। ऐसे

मार्गो के दुग्ध परिवहन वाहन को कार्य से पूथक किये जाने का अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी को होगा।

32– शटल मार्गों को सुविधानुसार अन्य मागर्ों से भी जोडा जा सकता है।

33– वाहन ठेकेदार को वाहन अनुबंध प्रारम्भ होने के एक माह के अन्दर संघ द्वारा निर्धारित प्रारूप में से संतुलित पशुआहार सुदाना, सॉची दूध एवं दुग्ध पदार्थ का विज्ञापन अनुबंधित वाहन पर लिखवाना होगा।

34– दुग्ध संकलन परिवहन के अनुबंधित वाहनों पर पीछे हुड पर अनुबंध अवधि में त्रिपाल आवश्यक रूप से लगानी होगी अन्यथा अनुबंध की शर्तो के अनुरूप आर्थिक दण्ड लिया जावेगा एवं इससे होने वाली अन्य हानियों का कटोत्रा भी किया जावेगा।

35– अनुबंधित वाहन में ईधन के रूप में डीजल का ही प्रयोग किया जावेगा ,ईधन के रूप में अन्य (घासलेट, मिलावटी डीजल या गेस) का उपयोग वर्जित माना जावेगा।

36– आयकर विभाग से यदि स्थायी लेखा संख्या नम्बर लिया है तो संघ को प्रस्तुत करना होगा।पेन नम्बर के अभाव में परिवहन देयक का भुगतान करना सम्भव नहीं होगा।

37– दुग्ध परिवहन हेतु अनुबंधित वाहन में जी.पी.एस. सिस्टम वाहन ठेकेदार को स्वयं के व्यय से लगवाना अनिवार्य होकर उसे चालू स्थिति रखने की समस्त जबाबदारी होगी। यदि जी.पी.एस. सिस्टम खराब होता है तो उसे स्वयं के व्यय से 24 घण्टे में रिपेयर करवा कर चालू करना अनिवार्य रहेगा, ऐसा नहीं करने पर प्रतिदिन रू.100/–की पेनल्टी लगाई जावेगी। लगातार जी.पी.एस. सिस्टम खराब रहने पर अनुबंध निरस्ती की कार्यवाही की जा सकेगी तथा ऐसे वाहन ठेकेदार को आगामी दो वर्ष तक संघ की निविदाओं में भाग लेने से प्रतिबंधित भी किया जा सकेगा।

38– निविदाकार को उसकी निविदा स्वीकृत होने पर संलग्न अनुबंध पत्र में उल्लेखित शर्तों को मान्य कर अनुबंध निष्पादित करना होगा।

39– निविदा/अनुबंध पत्र की किसी भी शर्त में कोई संशोधन करने,नई शर्त जोडने या उल्लेखित शर्तो में आंशिक संशोधन करने या उसे शिथिल करने का अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी को होगा।

40– निविदा को आंशिक/पूर्ण स्वीकृत या अस्वीकृत करने का पूर्ण अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी महोदय के पास सुरक्षित रहेगा एवं यह अंतिम होकर सभी को स्वीकार होगा।

–अनुबंध–पत्र–

यह अनुबंध पत्र आज दिनांक–––––––––––को निष्पादित किया गया जिसका प्रथम पक्ष (मुख्य कार्यपालन अधिकारी) ग्वालियर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, ग्वालियर अथवा उनके द्वारा अधिकृत अधिकारी है एवं द्वितीय पक्षकार(निविदाकार) श्री/श्रीमती–––––––––––––––––––––निवासी––––––––––––––––––––––––––––––––––––
एवं उत्तराधिकारी श्री/श्रीमती ––––––––––––––––––––––––– से है ।

ग्वालियर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित,ग्वालियर द्वारा गठित सहकारी समितियों के संग्रहस्थल से दूध केन ढक्कन सहित एवं सामग्री आरएमआरडी बानमोर/दुग्ध शीत केन्द–––––––तक एवं आरएमआरडी बानमोर/दुग्ध शीत केन्द––––––––से खाली केन ढक्कन सहित एवं सामग्री संस्था तक पहॅुचाने हेतु परिवहन करने के वास्ते प्रथम पक्षकार (ग्वालियर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, ग्वालियर) से वाहन का पंजीयन क्र.–––––––––––––हेतु द्वितीय पक्षकार द्वारा निर्धारित समय पर वाहन परिवहन हेतु आवेदन किया है और प्रथम पक्षकार ने इसमें आगे लिखे गये निबंधनों एवं शर्तो पर द्वितीय पक्षकार का आवेदन परिवहन दर रू.–––––––अक्षरी रू.––––––––––––––––––––प्रति किलोमीटर/प्रति ट्रिप पर अग्रलिखित समस्त शर्तो के अनुसार अनुबंध किया जाता है।

अनुबंधकर्ता को अनुबंधपत्र पर स्वयं के पासपोर्ट साईज का फोटो सहित, नोटरी करवाकर प्रस्तुत करना होगा। अनुबंध की शर्तें उभयपक्ष को मान्य होगी। दुग्ध संकलन मार्गों पर भविष्य में यदि टोल टेक्स प्रारम्भ होता है तो टोल टेक्स की वास्तविक रसीदों की प्राप्ति पर संघ द्वारा अतिरिक्त भुगतान देयकों के साथ किया जावेगा।

01–अ) यह ठेका अवधि **दिनॉक –––––––से दिनांक –––––––**तक प्रभावशील रहेगी ।

ब) अनुबंध द्वितीय वर्ष पश्चात संतोषजनक कार्य होने की स्थिति में दोनों पक्षों की सहमति से समान दर एवं समान शर्तों पर एक–एक कर अधिकतम दो वर्ष तक बढाया जा सकता है।

02– इन शर्तो को दुग्ध संकलन परिवहन ठेके की शर्तें कहा जावेगा। शर्तों में जहॉ–जहॉ संघ शब्द आयेगा, उसका तात्पर्य ग्वालियर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, ग्वालियर माना जावेगा, डेरी का तात्पर्य––––––––––डेयरी या शीत केन्द्र से–––––––––होगा। समिति का तात्पर्य दुग्ध सहकारी समितियों से होगा।

03– प्रतिदिन सुबह एवं शाम को निर्धारित समय पर धुले हुये खाली केन ढक्कन सहित संस्थाओं में पहुंचाने एवं दुग्ध से भरे केन ढक्कन सहित डेयरी/दुग्ध शीत केन्द्र तक लाने की जबावदारी द्वितीय पक्ष की होगी। इस हेतु प्रथम पक्ष द्वारा समय–समय पर आवश्कतानुसार दी गयी निर्धारित समय सारणी द्वितीय पक्ष को मान्य होगी, मार्ग पर स्थित किसी भी संस्था का दुग्ध न लाने की दशा में द्वितीय पक्ष को कारण सहित लिखित में सूचना प्रथम पक्ष को उसी दिन/पाली में देनी होगी, इस प्रकरण की जांच करने पर प्रथम पक्ष का निर्णय अंतिम होगा एवं द्वितीय पक्ष को मान्य होगा।

अधिकतम 40 किलोमीटर प्रति घण्टे की रफ्तार से समय–सारिणी निर्धारित की जाकर प्रत्येक पांईट से दूध उठाने एवं खाली केन एवं सामग्री प्रदाय हेतु प्रति पांईट 3 से 5 मिनिट समय दिया जावेगा। विशेष परिस्थितियों में संघ द्वारा गति सीमा घटाई/बढाई जा सकेगी।

केन एवं ढक्कन की प्राप्ति एवं प्रदाय की मात्रा का हिसाब द्वितीय पक्ष को रखना होगा । संस्थाओं में केन एवं ढक्कन बदलने की दशा में अथवा गुम होने की दशा में द्वितीय पक्ष को एक सप्ताह के अन्दर निराकरण करना होगा, अन्यथा केन एवं ढक्कन की कीमत परिवहन बिल से काट ली जायेगी एवं किया गया कटोत्रा वापिस नहीं किया जावेगा।

04– प्रथम पक्ष द्वारा संस्था को दिये जाने वाले सभी सामान जैसे पशु आहार, घी, मिनरल मिक्सचर, चाराबीज, घी टीन/पैकेट, संस्थाओं को लगने वाला मिल्को टेस्टर, टेस्टिंग सामान एवं स्टेशनरी आदि सामान समितियों को भेजा जाता है। इसका लेखा–जोखा द्वितीय पक्ष को रखना होगा एवं सामान अगली पाली में समिति तक पहुंचाना होगा। वाहन ठेकेदार को संबंधित समिति को सामान पहुंचाकर प्राप्ति रसीद तीन दिवस में कार्यालय में प्रस्तुत करना होगी, अन्यथा इसकी राशि द्वितीय पक्ष के परिवहन देयक से काटी जावेगी एवं काटी गई राशि किसी भी परिस्थिति में वापिस नहीं की जावेगी तथा लगातार तीन बार शिकायतें रहती हैं तो वाहन बन्द कर जमा अमानत राशि राजसात की जावेगी एवं आगामी 02 वर्षों तक संघ की निविदाओं में भाग लेने से प्रतिबंधित किया जा सकेगा।

05– यदि किसी कारण से संकलन बंद रहता है और प्रथम पक्ष द्वारा इसकी सूचना दी जाती है तो द्वितीय पक्ष को उन पालियों का भाडा देय नहीं होगा।

06– निर्धारित समय से संस्थाओं का दूध डेयरी तक लाने की पूरी जिम्मेदारी द्वितीय पक्ष की होगी । किसी भी कारण से वाहन खराब होने पर दूसरी समान क्षमता के वाहन की व्यवस्था द्वितीय पक्ष को करना होगी, किसी भी दशा में डेयरी पर वाहन के समय पर नहीं पहॅुचने की स्थिति में दूध खराब होने

पर जो हानि होगी वह कंडिका 08 अनुसार द्वितीय पक्ष से वसूल की जावेगी। अनुबंधित वाहन परिवर्तित करने पर उसी क्षमता का वाहन दुग्ध संकलन हेतु प्रथम पक्ष की अनुमति से चलाना होगा, अन्यथा क्षमता अनुसार परिवहन देयक का न्यूनतम दर से भुगतान किया जावेगा, साथ ही यदि किसी दिन द्वितीय पक्ष द्वारा दुग्ध संकलन हेतु वाहन नहीं भेजा जाता है एवं प्रथम पक्ष द्वारा व्यवस्था कर वाहन भेजना पडता है इससे खटटे/फटे दूध एवं दर अंतर की जो भी हानि होगी वह भी द्वितीय पक्ष के परिवहन देयक/प्रतिभूति राशि में से काटी जा सकेगी।

07– संकलन वाहन में परिवहन के समय केन/डिब्बे/बोतल/जार में पानी/तेल डीजल इत्यादि खाली बर्तन एवं सामग्री नहीं रखी जावेगी, यदि पाई जाती है तो एक दिवस के परिवहन देयक के बराबर राशि दण्ड स्वरूप काटी जावेगी साथ ही यदि इस कारण दूध खराब हुआ तो दूध की हानि की राशि भी द्वितीय पक्ष से काटी जावेगी।

08– प्राकृतिक प्रकोप अथवा मानवीय कृत्यों(ऐसे कृत्या–कृत्य जिनके लिये स्वयं द्वितीय पक्ष अथवा उनके प्रतिनिधि या उनकी ओर से कार्य करने वाले व्यक्ति स्वयं जिम्मेदार न हों, को छोडकर) जो द्वितीय पक्ष के काबू के बाहर हों जैसे कारणों को छोडकर वाहन के निश्चित समय पर नहीं आने की दशा में खराब होने वाले दुग्ध की हानि को खट्टा होने पर 50 प्रतिशत एवं फट्टा होने पर 70 प्रतिशत मूल्य का देनदार द्वितीय पक्ष रहेगा। उपरोक्त राशि उसी अवधि के देयक से काट ली जावेगी।

09– क्रमांक 08 में उल्लेंखित प्राकृतिक प्रकोप/द्वितीय पक्ष के काबू के बाहर के मानवीय कृत्या–कृत्यों का पंचनामा बनाकर द्वितीय पक्ष द्वारा उसी पाली के कार्यकाल में प्रस्तुत किया जावेगा। इसके लिये दुग्ध संघ के अधिकृत प्रतिनिधि के सत्यापन होने पर कार्यालयीन कार्यवाही के उपरान्त काटी गई राशि द्वितीय पक्ष को वापिस की जा सकेगी।

10– एक्सीडेंन्ट या अन्य परिस्थितियों में ठेके के अन्तर्गत कार्यरत वाहन या उसमें परिवहन की जाने वाली सामग्री अगर पुलिस द्वारा जप्त कर ली जाती है तथा दूध की नुकसानी होती है तो ऐसी स्थिति में होने वाले नुकसान की पूर्ण जबाबदारी द्वितीय पक्ष की रहेगी एवं क्षति की राशि द्वितीय पक्ष के परिवहन देयक से वसूल की जा सकेगी।

11– वाहन हेतु डीजल की व्यवस्था का उत्तरदायित्व पूर्णतः द्वितीय पक्ष का रहेगा यदि डीजल के अभाव में दुग्ध संकलन नहीं किया जाता या वाहन देरी से भेजा जाता है तो इससे समिति/संघ को होने वाली हानि द्वितीय पक्ष के परिवहन देयक से काटी जा सकेगी। अनुबंधित वाहन में शासन के नियमों का पालन करते हुये ईधन के रूप में डीजल का ही प्रयोग किया जावेगा।यदि वाहन ठेकेदार द्वारा घासलेट, मिलावटी डीजल या गैस से वाहन चलाया जाता है एवं शासन या अन्य संस्था द्वारा जांच में डीजल के स्थान पर घासलेट, मिलावटी डीजल या गैस पाया जाता है एवं इस कारण शासन द्वारा वाहन जप्त किया जाता है तो वाहन ठेकेदार को संकलन के लिये अन्य वाहन की व्यवस्था करना होगी। यदि संघ स्तर से वाहन व्यवस्था स्थानीय बाजार से की जाती है तो उसमें होने वाले अतिरिक्त व्यय की वसूली द्वितीय पक्ष से की जावेगी तथा अनुबंध समाप्त एवं प्रतिभूति राशि राजसात करने की कार्यवाही भी की जा सकेगी।

12– द्वितीय पक्ष अथवा उसके प्रतिनिधि के अनुपस्थित रहने की दशा में दूध का जो भी परीक्षण परिणाम होगा वह द्वितीय पक्ष को मान्य होगा ।

13– संघ के कार्य से संघ/संस्था के कर्मचारियों को आवश्यकता पड़ने पर वाहन में लाना एवं ले जाना होगा।

14– संघ से प्रदत्त सामग्री के अतिरिक्त अन्य कोई भी सामान/सवारी दुग्ध वाहन में नहीं लायी जावेगी यदि ऐसा करते हुये किसी दिन पाया जाता है तो संघ जो दण्ड करेगा वह द्वितीय पक्ष को मान्य होगा। यह दण्ड अधिकतम उसी पाली के परिवहन देयक से अधिक नहीं होगा। यदि ऐसा दण्ड करने की एक बार से अधिक बार नौबत आई तो संघ को अधिकार होगा कि वह इस अनुबंध को उक्त कारण से निरस्त कर वाहन संचालन बन्द कर दें तथा हानि की वसूली कर जमा प्रतिभूति राशि राजसात कर आगामी दो वर्षों तक संघ की निविदाओं में भाग लेने से प्रतिबंधित कर दें।

15– (अ) पशु आहार ले जाने पर दुग्ध संघ द्वारा अनुमोदित दर पर वास्तविक भुगतान संघ द्वारा किया जायेगा। समिति प्वांइट पर उतारने की जिम्मेदारी द्वितीय पक्ष की रहेगी। टाटा–407 या छोटे वाहन में समितियों की मांग अनुरूप पशु आहार ले जाना आवश्यक होगा। घी 15 लीटर टीन/15 लीटर कार्टून का दुग्ध संघ द्वारा अनुमोदित दर पर वास्तविक भुगतान संघ द्वारा किया जावेगा, मिनरल मिक्सचर 25 किलो पैकिंग एवं 50 किलो पैकिंग का दुग्ध संघ द्वारा अनुमोदित दर पर भुगतान किया जावेगा ।

(ब) पशु आहार/घी/मिनरल मिक्सचर के अलावा अन्य सामग्री जो परिवहन होगी उसका कोई भाड़ा देय नहीं होगा, जिसमें मार्ग में नई खोली जाने वाली समितियों का सामान भी सम्मिलित होगा, साथ ही बन्द समितियों का सामान वापिस लाया जावेगा। उक्त सामान लाने व ले जाने में सावधानी रखी जावेगी,यदि असावधानी से कोई नुकसान होगा तो द्वितीय पक्ष की जिम्मेदारी रहेगी एवं हानि होने पर द्वितीय पक्ष के देयक से काटी जा सकेगी।

(स) संघ द्वारा समितियों को प्रदाय हेतु दिये गये पशु आहार से यदि संस्था पर पशु आहार कम उतारा जाता है तो संघ को अधिकार होगा कि कम उतारे गये पशु आहार की राशि एवं साथ ही रू.100.00 प्रति बेग की दर से अर्थदण्ड वसूल कर ले।

(द) पशु आहार वितरण के लिये दिये गये निर्देशों की अवहेलना करने पर द्वितीय पक्ष से प्रतिदिन प्रति बैग रूपये 100.00 प्रतिदिन के हिसाब से आर्थिक दण्ड वसूल किया जा सकेगा। इसके पश्चात भी पशु आहार नहीं ले जाने पर संघ द्वारा अलग से वाहन द्वारा पहुॅचाया जायेगा जिसका वास्तविक परिवहन व्यय द्वितीय पक्ष के देयक से काटा जावेगा ।

16– संघ द्वारा निर्देशित रीति से प्रदत्त ट्रक शीट अनिवार्यतः भरवाने का कार्य द्वितीय पक्ष द्वारा किया जावेगा। डिलेवरी चालान ट्रक शीट के साथ प्रस्तुत किया जावेगा, ऐसा न करने पर समितियों से प्राप्त शिकायतें द्वितीय पक्ष को मान्य होंगी तथा ऐसी हानि द्वितीय पक्ष के देयक से वसूली योग्य होगी। मार्ग की उन समितियों पर जहां पर सीधे वाहन लगाया जाता है ऐसी समितियों की केन संख्या एवं समय की जानकारी समिति कर्मचारियों से पूरी कराई जावेगी। समिति की खाली केन दुग्ध से भरी केन चढाते समय ही प्रदाय की जावेगी यदि ऐसा नहीं किया जाता है एवं केन बीच में उतारता है तो इससे होने वाली हानि की क्षतिपूर्ति करने का उत्तरदायित्व द्वितीय पक्ष का होगा तथा दुरूपयोग पर आर्थिक दण्ड किया जा सकेगा।

(अ) द्वितीय पक्ष द्वारा वाहन पर जो कर्मचारी नियुक्त किये जावेंगे वे संघ के निर्देशानुसार कार्य करेंगे तथा उनके कृत्या–कृत्य के लिये प्रथम पक्ष जिम्मेदार नहीं होगा। द्वितीय पक्ष जो भी कर्मचारी वाहन संचालन हेतु रखेगा उनके संबंध में समस्त वैधानिक नियमों का पालन करने की जबाबदारी द्वितीय पक्ष की होगी। इनके द्वारा लापरवाही/अनियमितता अथवा अभद्र व्यवहार करने की दशा में संघ के आदेशानुसार उनके विरूद्ध कार्यवाही करना होगी।

(ब) द्वितीय पक्ष या उसके प्रतिनिधि द्वारा संघ के संचालक मंडल के सदस्यों/संघ अधिकारियों/कर्मचारियों से अभद्र व्यवहार किया जाता है तो संघ को अधिकार रहेगा कि आर्थिक दण्ड से दण्डित करे या द्वितीय पक्ष का अनुबंध निरस्त कर दे तथा आगामी 02 वषों तक संघ की निविदाओं में भाग लेने से प्रतिबंधित कर दें।

17– द्वितीय पक्ष द्वारा अनुबंध की शर्तों का निरन्तर उल्लघंन करने या असंतोषतनक कार्य करते रहने या अनुबंध अवधि के पूर्व अनुबंध हस्तांतरण न करते हुये वाहन बन्द करने अथवा संघ द्वारा आदेशित निर्देशों का पालन न करने की दशा में प्रथम पक्ष को अधिकार रहेगा कि वह इस अनुबंध को निरस्त कर प्रतिभूति राशि जप्त कर लें। इसके अतिरिक्त यदि इस कारण प्रथम पक्ष को कोई हानि होती है तो वह भी द्वितीय पक्ष के देयक से वसूल कर लें।

18– अनुबंध समाप्ति के पश्चात राशि वापिस प्राप्त करने के लिये समिति द्वारा प्रदत्त बकाया नही ं के प्रमाणपत्र , जो कि मार्ग पर्यवेक्षक से सत्यापित कर प्रस्तुत होंगे, प्रथम पक्ष को अधिकार होगा कि ऐसे समस्त वसूली योग्य राशि द्वितीय पक्ष के परिवहन देयक तथा प्रतिभूति राशि से कटोत्रा कर लें। यदि कटोत्रा शेष रहता है तो वसूली हेतु शासन के नियमानुसार राशि वसूल करने की कार्यवाही की जावेगी एवं परिवहनकर्ता को काली सूचीबद्ध भी किया जा सकेगा। काली सूचीबद्ध किये जाने में वाहन ठेकेदार सहित वाहन एवं वाहन परिचालन हेतु वाहन के संबंधित कर्मचारियों को भी काली सूचीबद्ध किया जा सकेगा। यदि एक ही वाहन मालिक के दुग्ध संघ के अन्य दुग्ध संकलन मार्गों पर भी वाहन चल रहे तो उन्हें भी काली सूचीबद्ध किया जा सकेगा।

19– संघ द्वारा निर्देशित किये गये दुग्ध संकलन मार्गों को बढाने एवं घटाने का अधिकार संघ को रहेगा। यदि सम्भव हुआ तो संघ द्वारा मार्ग को अन्य मार्ग में परिवर्तन किया जाकर उस मार्ग की दुग्ध संस्था का परिवहन कार्य भी करवाया जा सकता है इसी तरह जितनी भी दूरी घटे–बढे, उसे स्वीकृत दर से भाडे का भुगतान किया जावेगा, साथ ही मार्ग की दुग्ध संस्थाओं को भी घटाया/बढाया या परिवर्तित किया जा सकता है एवं नवीन दुग्ध संस्थाओं के गठन पर उनको भी इसमें शामिल या अन्य मार्गों में शामिल किया जा सकेगा जो कि वाहन ठेकेदार को मान्य होगा। यदि अनुबंधित दुग्ध मार्ग पर

संकलन अत्यधिक कम हो जाता है तो अल्पकालीन सूचना पर मार्ग का संकलन स्थगित किया जा सकता है, उतने दिनों का वाहन ठेकेदार को कोई भुगतान नहीं किया जावेगा, साथ ही यदि अनुबंधित मार्ग पर संकलन कम हो जाता है तो संघ हित में मार्ग को शटल अथवा बन्द किया जाकर अन्य मार्ग से सम्बद्ध किया जा सकेगा। शटल मार्ग करने से दूरी कम होने पर भी अनुबंधित दर से ही जितना वाहन चलेगा उतनी दूरी का भुगतान किया जावेगा।

20– अनुबंधित वाहनों पर पीछे हुड पर अनुबंध अवधि में बांस का टट्टर एवं उस पर त्रिपाल आवश्यक रूप से लगी होना चाहिये अन्यथा वाहन निर्धारित समय या समय से पूर्व आने पर भी खटटे/फटटे दूध की हानि की राशि द्वितीय पक्ष के देयक से काटी जावेगी एवं आर्थिक दण्ड भी किया जावेगा तथा इससे होने वाली अन्य हानियों का कटोत्रा भी द्वितीय पक्ष के देयक से किया जावेगा। अनुबंधित वाहन के पीछे की ओर बिजली का बल्ब चालू हालत में रहेगा, जिससे खाली केनों को गिनने में कोई दिक्कत न हो। इसी प्रकार संघ की सूचना पर दूध से भरे केनों पर पानी छिडकने की व्यवस्था भी द्वितीय पक्ष को करना होगी, ऐसा न करने पर जो हानि होगी उसका दायित्व द्वितीय पक्ष का होगा।

21– यदि चैकिंग के दौरान अथवा इस संबंध में प्राप्त शिकायतों की जांच करने पर पाया जाता है कि वाहन कर्मचारी दूध में गडबडी , हेराफेरी , केन से दूध निकालने , दूध का विक्रय करते हुये , वाहन से दूध से भरे हुये जार/बोतल या दूध पीते हुये पाये जाते हैं या किसी भी प्रकार की अनियमिततायें करते हुये पाये जाते हैं मार्ग पर पड़ने वाली सभी समितियों को ठेके की अवधि में यदि दूध की कमी आई है तो उसका देनदार द्वितीय पक्ष रहेगा। यह राशि द्वितीय पक्ष के परिवहन देयक से वसूली योग्य रहेगी तथा द्वितीय पक्ष का अनुबंध निरस्त करने एवं प्रतिभूति राशि जप्त करने का अधिकार भी प्रथम पक्ष को होगा तथा आगामी 02 वर्षों तक संघ की निविदाओं में भाग लेने से प्रतिबंधित किया जा सकेगा।

22–वाहन में कार्यरत कर्मचारियों के विरूद्व सहकारी/सरकारी कानून अनुसार की जाने वाली कार्यवाही की जबावदारी द्वितीय पक्ष की रहेगी एवं यदि इस कारण से संघ/संस्थाओं को कोई हानि होगी तो उसका जबाबदार द्वितीय पक्ष होगा तथा नुकसानी की राशि द्वितीय पक्ष के परिवहन देयक से काटी जावेगी।

23– द्वितीय पक्ष हडताल/कार्यबन्दी नहीं करेगा एवं ना ही इसमें भाग लेगा, यदि द्वितीय पक्ष ऐसा करता है तो उससे होने वाली हानि एवं प्रथम पक्ष द्वारा जो भी दण्ड किया जावेगा उसके लियें द्वितीय पक्ष जबाबदार रहेगा, साथ ही प्रथम पक्ष को अधिकार होगा कि इस कारण से द्वितीय पक्ष का अनुबंध निरस्त कर दे एवं प्रतिभूति राशि राजसात कर लेवें।

24– डेरी परिधि के अन्दर तेज रफ्तार से वाहन नहीं चलाये जावेंगे, डेयरी परिधि में वाहन की साफ सफाई नहीं की जावेगी। डेयरी परिधि में वाहन के कर्मचारी नहाने धोने जैसे कार्य नहीं करेंगे, यदि ऐसा किया जाता है तो संघ द्वारा जो निर्धारित दण्ड किया जावेगा उसका द्वितीय पक्ष देनदार रहेगा, साथ ही बिना अनुमति केनों में पानी भरने में प्रयोग नहीं किया जावेगा। यदि ऐसा करते हुये पाया जाता है तो संघ द्वारा जो दण्ड दिया जावेगा वह द्वितीय पक्ष को मान्य होगा। इसके अतिरिक्त डेयरी परिसर में अन्दर आने के पश्चात जब तक वह वाहन वापस खाली बाहर नहीं आता है तब तक वाहन कर्मचारी वाहन के साथ ही रहेंगे।

25– वाहन में सामान उतारने व समितियों पर दूध के केन चढाने उतारने, सामान की देखरेख करने एवं केनों पर पानी छिडकने आदि का कार्य भी द्वितीय पक्ष द्वारा करवाया जावेगा।

26– वाहन का स्पीडो मीटर एवं सेल्फ स्टार्टर हमेशा चालू रहेगा, यदि खराब हो जाता है तो 24 घण्टों में पुनः द्वितीय पक्ष द्वारा सुधरवाया जावेगा।

27– दुग्ध वाहन पर द्वितीय पक्ष द्वारा निर्धारित प्रारूप में ऐसी सूचनायें जिसमें दुग्ध विक्रय हेतु नहीं है एवं सुदाना, पशु आहार एवं दुग्ध पदार्थ का विज्ञापन लिखवाना होगा।

28– इस अनुबंध के अन्तर्गत यदि कोई राशि संघ/समितियों की निकलेगी तो प्रथम पक्ष को द्वितीय पक्ष की चल/अचल सम्पत्ति से यह राशि वसूल करने का अधिकार होगा, इस प्रकार से की जाने वाली वसूली हेतु यदि कोई अतिरिक्त व्यय होता है तो उसके लिये भी द्वितीय पक्ष और उसका उत्तराधिकारी जिम्मेदार रहेगा।

29– परिस्थितिवश अथवा आवश्यकता होने पर प्रथम पक्ष को अधिकार होगा कि वह इस अनुबंध में यदि कोई नई शर्त को ओर सम्मिलित करना चाहे तो ऐसी शर्त पर परस्पर चर्चा कर जो निर्णय लिया जावेगा वह द्वितीय पक्ष को मान्य होगा।

30– द्वितीय पक्ष अपना वारिस श्री/श्रीमती/कु.––––––––––––सम्बंध––––––उम्र –––को पूर्ण होश हवास में नामांकित घोषित करता है। द्वितीय पक्ष की मृत्यु उपरान्त श्री/श्रीमती/कु. ––––––––––––को संघ से व्यवहार करने का अधिकारी रहेगा। इसकी स्वीकृति के वारिस के हस्ताक्षर करवा कर प्रथम पक्ष को द्वितीय पक्ष देगा।

31– अनुबंध की शर्तों के अंतर्गत किसी भी प्रकार का विवाद होता है तो विवाद को निर्णयार्थ आर्बीट्रेटर को सौंपा जा सकेगा। आर्बीट्रेटर, आर्बीट्रेटेर एक्ट अनुसार निर्धारित किया जावेगा व आर्बीट्रेटर का निर्णय उभय पक्षों को मान्य होगा जो कि अंतिम होगा।

32– निविदा स्वीकृत होने पर निविदाकर्ता को अनुबंध तथा प्रतिभूति की राशि के साथ दुग्ध संघ की नाम मात्र की सदस्यता प्राप्त करने हेतु रू.100/– का एक अंश प्रति वर्ष अनिवार्य रूप से क्रय करना होगा। ऐसे सदस्य संस्था के प्रबंधन मतदान तथा लाभ के वितरण में भाग नहीं ले सकेगे। संघ के साथ व्यापारिक सम्बन्ध बने रहने तक वे नाम मात्र के सदस्य बने रहेगें।

33– संघ में कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों अथवा संचालक मंडल के सदस्यों में द्वितीय पक्ष का कोई निकट रिश्तेदार, पति, पत्नी, पुत्री, सगे भाई बंधु नहीं है , यह तथ्य द्वितीय पक्ष शपथ पत्र पर प्रस्तुत करेगा। अगर जॉच के दौरान उपरोक्त कथन असत्य पाया गया तो प्रथम पक्ष को अधिकार होगा कि यह अनुबंध निरस्त कर प्रतिभूति राशि जप्त कर ले।

34– द्वितीय पक्ष द्वारा नियुक्त कर्मचारियों के परिचयपत्र मय फोटो के बनवायें जावेंगे। वह हर समय गाडी के साथ रहेंगे एवं उसकी एक प्रति दुग्ध संघ के कार्यालय में देंगे। वाहन के साथ एक चालक व उसका एक सहायक ही रहेगा , कर्मचारी बदलने पर पुनः उसका परिचयपत्र एवं फोटो कार्यालय में देना होगा। वाहन चालक एवं सहायक का नियुक्ति आदेश द्वितीय पक्ष द्वारा जारी किया जावेगा एवं उसकी एक प्रति दुग्ध संघ को भी पृष्ठांकित करेगा। परिवर्तन की स्थिति में दुग्ध संघ को तत्काल सूचित करेगा।

35– द्वितीय पक्ष द्वारा दुग्ध परिवहन के साथ दुग्ध एवं दुग्ध पदार्थ (घी,मीठा दूध,श्रीखण्ड,मटठा)आदि की भरी एवं खाली क्रेट भी लाई एवं ले जाई जावेंगी। यदि दुग्ध संकलन परिवहन के साथ विपणन की दरें भी अनुमोदित हैं तो किसी प्रकार का अतिरिक्त भाडा देय नहीं होगा। यदि दुग्ध संकलन परिवहन के साथ दुग्ध विपणन की दरें अनुमोंदित नहीं हैं ओर निर्धारित मार्ग के अलावा वाहन को विपणन हेतु भेजा जाता है तो उसका अनुबंधित दरों से भाडा देय होगा। इस हेतु दुग्ध वितरण हेतु निर्धारित समय तक वाहन को रोका जा सकेगा।

अ– दुग्ध एवं दुग्ध पदार्थ वितरण हेतु दुग्ध संघ की अनुमोदित दर अनुसार परिवहन भुगतान किया जायेगा। इस हेतु द्वितीय पक्ष को क्रेट का पूर्ण हिसाब रखना होगा एवं खाली क्रेट संघ में प्रतिदिन जमा करानी होगी।

ब– दूध वितरक से प्राप्त मांग एवं रसीदें डेरी में प्रतिदिन जमा कराना होगीं।

स– दिये गये दूध एवं दुग्ध पदार्थ की पावती संघ में लाकर देनी होगी।

द– समय पर दूध एवं दुग्ध पदार्थ नहीं पहुंचाने की स्थिति में सम्पूर्ण दूध एवं दुग्ध पदार्थ का मूल्य वाहन ठेकेदार के देयक से वसूली की कार्यवाही की जावेगी।

36– स्थानीय मध्यप्रदेश शासन, भारत शासन द्वारा जो भी कर लागू किये जावेंगे, वह द्वितीय पक्ष के परिवहन देयक से काट लिये जावेंगे एवं उस राशि को शासकीय कोषालय में जमा किया जावेगा एवं उसका प्रमाणपत्र प्रथम पक्ष द्वारा द्वितीय पक्ष को दिया जावेगा। आयकर विभाग का स्थाई लेखा संख्या नम्बर प्रथम पक्ष देगा।

37– खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 या अन्य वैधानिक प्रावधानों के अन्तर्गत आवश्यक होने पर लायसेंस प्राप्त करने का उत्तरदायित्व द्वितीय पक्ष का होगा। अनुबंध अवधि प्रारम्भ होने के एक माह में लाईसेंस प्राप्त कर उसकी छायाप्रति दुग्ध संघ कार्यालय में प्रस्तुत करना होगी, अन्यथा कार्यादेश निरस्त कर ई.एम.डी.राजसात कर ली जावेगी।

38– द्वितीय पक्ष का जिस दुग्ध संकलन मार्ग का ठेका होता है यदि मार्ग खराब हो तो उन संस्थाओं का दुग्ध संकलन लाने हेतु स्वयं द्वितीय पक्ष को व्यवस्था करना होगी, जिसका सम्पूर्ण दायित्व द्वितीय पक्ष का होगा, इस हेतु कोई अतिरिक्त भुगतान नहीं किया जावेगा, यदि ऐसी व्यवस्था करने में द्वितीय पक्ष असफल होता है तो प्रथम पक्ष द्वारा व्यवस्था की जावेगी वह द्वितीय पक्ष को मान्य रहेगा तथा उतनी राशि द्वितीय पक्ष के देयक से काटकर संबंधित को भुगतान करने का अधिकार प्रथम पक्ष का रहेगा। मार्ग खराब होते हुये भी वैकल्पिक व्यवस्था न करते हुये अपने वाहन का उपयोग द्वितीय पक्ष

करता है तथा इस कारण यदि संघ/समितियों को हानि होती है तो उस हानि का उत्तरदायित्व द्वितीय पक्ष का होगा एवं ऐसी हानि द्वितीय पक्ष के देयक से काटने का अधिकार प्रथम पक्ष का होगा।

39– दूसरी मंजिल से केन लाने हेतु पटियों का पार्टीशन करना होगा। किसी भी स्थिति में केनों के ऊपर केन रखने की अनुमति नहीं दी जावेगी। पार्टीशन व्यवस्था द्वितीय पक्ष को स्वयं करना होगी।

40– वाहन में दुग्ध से भरे केनों की क्षमता निम्नानुसार होगी–

- **जीप/टेम्पों/या समान क्षमता का वाहन 25 केन**
- **पिकअप या समान क्षमता का वाहन 40 केन**
- **मेटाडोर/ट्रेक्टर या समान क्षमता का वाहन 55 केन**
- **टाटा407 या समान क्षमता का वाहन 75 केन**
- **टाटा 608/आयशर/डी.सी.एम./मालदा/ आलवीन या समान क्षमता का वाहन 120 केन**

अनुबंधित वाहन में उक्त उपरोक्त क्षमता से अधिक केन आने पर प्रति पाली रू.5.00 प्रति केन का अतिरिक्त भुगतान किया जावेगा।

41– परिवहन देयकों के भुगतान हेतु प्रत्येक माह दिनांक 01 से दिनांक 15 तक का देयक द्वितीय पक्ष द्वारा दिनांक 18 तक संघ/संयत्र में देना होंगे, जिसका भुगतान आगामी माह की संभवतः दिनांक 10 तक किया जावेगा, उसी प्रकार प्रत्येक माह की दिनांक 16 से दिनांक 30/31 तक का देयक आगामी माह की सम्भवतः दिनांक 25 तक किया जावेगा।

42– संघ द्वारा दुग्ध समितियों हेतु प्रतिपाली दी जाने वाली वेट स्लिप एवं एडवाईज पहुंचाने एवं उसकी प्राप्ति लाकर संघ कार्यालय में संघ पर पहुंचाने की जिम्मेदारी द्वितीय पक्ष की होगी, ऐसा न करने पर संघ द्वारा प्रति पाली प्रति संस्था के हिसाब से रू.5.00 एवं दण्ड स्वरूप द्वितीय पक्ष के देयक से कटोत्रा की जावेगी।

43– यदि किसी दुग्ध संकलन मार्ग पर किसी भी एक या अनेक समितियों में निरन्तर दूध या फेट की शिकायत संघ कार्यालय को प्राप्त होती है तो संघ के अधिकारी/पर्यवेक्षक 03 पाली तक उक्त मार्ग के दुग्ध वाहन के साथ जावेंगे, अधिकारी/पर्यवेक्षक दूध वाहन के साथ संलग्न करने पर उन दिनों में यदि किसी भी समिति में कोई कमी नहीं आती है तो यह मानकर कि दूध या फेट में कमी वाहन स्तर पर ही हो रही है , समितियों को होने वाले नुकसान की राशि द्वितीय पक्ष के परिवहन देयक/प्रतिभूति राशि से काटी जावेगी।

44– मुख्य कार्यपालन अधिकारी को 30 दिन की पूर्व सूचना पर बिना कारण बतायें अनुबंध समाप्त करने का अधिकार होगा, परन्तु उनके वाहन में नियुक्त कर्मचारियों के अवैधानिक अथवा आपराधिक कार्यों में सन्हित होने की दशा में पुष्टि होने पर बिना पूर्व सूचना के अनुबंध समाप्त किया जा सकेगा और इन परिस्थितियों में संघ द्वारा किसी प्रकार की पूर्व सूचना नहीं दी जावेगी। द्वितीय पक्ष द्वारा इस अनुबंध पत्र
की शर्तों का उल्लघंन करने की स्थिति में मुख्य कार्यपालन अधिकारी को अधिकार होगा कि वें बिना पूर्व सूचना दिये इस अनुबंध पत्र को निरस्त करने व अनुबंध पत्र निरस्त करने की दशा में संघ को जो हानि होगी उसकी समस्त जबाबदारी द्वितीय पक्ष की होगी।

45– संघ द्वारा निर्धारित समय–सारिणी अनुसार ही द्वितीय पक्ष को दुग्ध परिवहन कार्य करना होगा। यदि दुग्ध परिवहन वाहन निर्धारित समय पर दुग्ध परिवहन पाईन्ट पर नहीं पहुंचता है तो ऐसी दशा में समिति कर्मचारी निर्धारित समय के पश्चात एक घण्टे तक परिवहन पाईन्ट पर उपस्थित रहेगा। इस अवधि में भी वाहन दुग्ध परिवहन नहीं करता है तो उस दूध के खट्टे/फट्टे से हुई हानि की राशि एवं उस दूध को डेरी डॉक/शीत केन्द्र तक पहुंचाने में समिति द्वारा किये गये व्यय की राशि द्वितीय पक्ष के परिवहन देयक से काटी जावेगी।

46– स्वीकृत दरें अनुबंध समाप्ति तक मान्य रहेंगी, लेकिन अनुबंध अवधि में यदि डीजल दरों में कमी/वृद्धि होती है, तो ही अनुबंधित दर में कमी/वृद्धि की जावेगी, दर में कमी/वृद्धि की गणना निम्नानुसार की जावेगी–

क्र	वाहन का प्रकार	औसत प्रति लीटर
1	टेम्पों	30 कि.मी.
2	मेटाडोर/जीप	15 कि.मी.

3	टाटा एसीई/मीनीडोर/वेन	22 कि.मी.
4	टाटा407 या समान क्षमता का वाहन	10 कि.मी.
5	टाटा 608,609,709,आयशर,माजदा	08 कि.मी.
6	ट्रेक्टर	07 कि.मी.
7	टाटा 807/मिनी ट्रक	06 कि.मी.

इस प्रकार औसत कि.मी.पर डीजल दर वृद्धि/कमी से राशि की गणना तद्नुसार वाहन की दर में वृद्धि/कमी दिनांक से प्रति कि.मी. कमी/वृद्धि की जावेगी। डीजल के अतिरिक्त स्पेयर्स पार्टस, आईल तथा टायर टयूब आदि की दरों में वृद्धि होने पर अनुबंध दरों में वृद्धि नहीं की जावेगी।

47– अनुबंधित वाहन पर ड्राइवर एवं क्लीनर द्वितीय पक्ष द्वारा नियुक्त उसके स्वयं के निजी कर्मचारी होगें तथा इन कर्मियों के संबंध में कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम एक्ट या कर्मचारी क्षतिपूर्ति अधिनियम अथवा अन्य कोई उसी प्रकार के अधिनियमों के अन्तर्गत होने वाली जिम्मेदारी का दायित्व द्वितीय पक्ष का स्वंय का होगा एवं इसका रिकार्ड तथा कटौत्रा का लेखा–जोखा द्वितीय पक्ष स्वयं को ही रखना होगा ।

48– विशेष परिस्थितियों में अनुबंधित वाहन से कम क्षमता का वाहन चलाया जाने पर अनुबंधित दर में 20 प्रतिशत का कटोत्रा किया जावेगा किन्तु वाहन ठेकेदार को मार्ग पर संकलित पूरा दूध लाना होगा। यह अनुमति वर्ष में 2–3 बार ही दी जा सकेगी , लेकिन किसी भी परिस्थिति में यह अवधि तीन दिवस से अधिक नहीं होगी। यदि इस अवधि में पुनः वाहन ठेकेदार द्वारा अनुबंधित क्षमता का वाहन नहीं लगाया गया तो उसका अनुबंध निरस्त कर प्रतिभूति राशि राजसात की जा सकेगी।

49– संकलन मार्ग पर बल्क मिल्क कूलर स्थापित किये जाने पर संकलन मार्ग के वाहन ठेकेदार को 01 माह पूर्व का नोटिस दिया जाकर वाहन बन्द किया जा सकेगा।

50– डेयरी संयत्र/शीत केन्द्र में अवरोध होने पर संकलन वाहनों को निकट के अन्य संयत्र/शीत केन्द्र पर अनुबंधित दर पर भेजा जा सकेगा। यदि द्वितीय पक्ष द्वारा मना किया जाता है तो अन्य वाहन व्यवस्था करने पर अन्तर की राशि द्वितीय पक्ष से वसूल की जावेगी।

51– संघ द्वारा जो भी निर्धारित दुग्ध संकलन मार्ग निश्चित किया गया है उसी पर वाहन खाली/भरी चलावें। यदि सत्यापन के समय पाया गया कि वाहन निर्धारित मार्ग से नहीं चलाया जा रहा है तो न्यूनतम एक पाली के परिवहन का आर्थिक दण्ड किया जावेगा , साथ ही परिवर्तित मार्ग से जो दूरी कम होगी उसका सम्पूर्ण अनुबंध अवधि का कटोत्रा किया जावेगा।

52– द्वितीय पक्ष द्वारा वाहन लगाने के एक सप्ताह के अन्दर स्थाई लेखा संख्या(पेन नम्बर) स्व सत्यापित की छायाप्रति संघ कार्यालय को प्रेषित करना होगी, तत्पश्चात ही परिवहन देयक की स्वीकृति की कार्यवाही द्वितीय पक्ष द्वारा की जावेगी।

53– द्वितीय पक्ष द्वारा अनुबंध अवधि में यदि अपना वाहन आगे नहीं चलाना चाहता है तो उसके लिये वह अन्य ठेकेदार को उसी दर में समान क्षमता के वाहन को चलाने के लिये तैयार कर अनुबंध करावेगा, इस हेतु हस्तांतरण शुल्क राशि रू.5000/– संघ में जमा किया जावेगा। प्रथम चार माह में अनुबंध हस्तांतरण की अनुमति नहीं दी जावेगी।

54– परिवहन देयक से चार पहिया वाहन हेतु रू.15.00 तथा छह पहिया वाहन हेतु रू.20.00 प्रतिदिन केन रख–रखाव कटोत्रा किया जावेगा।

55– द्वितीय पक्ष द्वारा यह सुनिश्चित हो कि अनुबंधित वाहन की नियमित सर्विसिंग होवें एवं अनुश्रवण के अभाव में दुर्घटना या खराबी उत्पन्न न हो ।

56– दुग्ध परिवहन हेतु अनुबंधित वाहन में जी.पी.एस. सिस्टम वाहन ठेकेदार को स्वयं के व्यय लगवाना अनिवार्य होकर उसे चालू रखने की समस्त जबाबदारी होगी। यदि जी.पी.एस.सिस्टम खराब होता है तो उसे स्वयं के व्यय से 24 घण्टे में रिपेयर करवाकर चालू करना अनिवार्य होगा ऐसा नही करने पर प्रतिदिन रू.100/–की पेनल्टी लगाई जावेगी। लगातार जी.पी.एस. सिस्टम खराब रहने पर अनुबंध निरस्ती की कार्यवाही की जा सकेगी तथा ऐसे वाहन ठेकेदार को आगामी दो वर्ष तक संघ की निविदाओं में भाग लेने से प्रतिबंधित भी किया जा सकेगा।

57– विवाद होने की स्थिति में समस्त न्यायालयीन कार्यवाही का कार्यक्षेत्र ग्वालियर रहेगा।

मै/श्री––––––––––––––––द्वितीय पक्ष ने उक्त अनुबंध शर्तो का अवलोकन भलीभॉति एवं पूर्ण होशोहवास में कर लिया है तथा मुझे निविदा एवं अनुबंध की समस्त शर्ते मान्य है। निम्न

साक्षियों के समक्ष प्रथम पक्ष से अनुबंध करता हूँ ।

प्रथम पक्ष	**द्वितीय पक्ष**
मुख्य कार्यपालन अधिकारी ग्वालियर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित	**हस्ताक्षर अनुबंधकर्ता————————————** **नाम——————————————————** **पिता/पति का नाम————————————** **पता——————————————————** **दूरभाष क्र.————————————————** **मोबाइल नम्बर———————————————** **स्थाई लेखा संख्या पेन——————————**

अनुबंधकर्ता जमानतदार का नाम एवं हस्ताक्षर

1—हस्ताक्षर————————————————
नाम——————————————————
पता——————————————————
मोबाइल न————————————————
आई.डी.प्रुफ———————————————

2—हस्ताक्षर————————————————
नाम——————————————————
पता——————————————————
मोबाइल न————————————————
आई.डी.प्रुफ———————————————

अनुबंधकर्ता गवाह का नाम एवं पता

1— हस्ताक्षर——————————————
नाम————————————————
पता————————————————
मोबाइल न——————————————
आई.डी.प्रुफ——————————————

2— हस्ताक्षर——————————————
नाम————————————————
पता————————————————
मोबाइल न——————————————
आई.डी.प्रुफ——————————————

नोट— उपरोक्त अनुबंधपत्र अधोहस्ताक्षरी द्वारा अवलोकन कर सत्यापन किया गया है।

प्रबंधक,दुग्ध शीत केन्द्र
सील सहित